न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 295/2023 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/320)

पूनीराम पुत्र बजरंगा जाति बैरवा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

वनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर मु0नं0 34/2019 पूनीराम वनाम सरकार निर्णय दिनांक 28.8.2019 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री राधेश्याम वैष्णव वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 28.08.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने आदेश दिनांक 22.2.2019 से अपीलान्ट को पाश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्ट को वेदखल किया जाकर विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित कर 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। जिसकी अपील तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष की गई। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.9.2019 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा तहसीलदार सवाईमाधोपुर का निर्णय 22.2.2019 यथावत रखा गया। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 23.9.2019 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2019 व तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 22.02.2019 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। दोनों तहत अदालतों द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया तथा विधिवत तामील किये जाने की प्रकिया भी नहीं अपनाई गई। तहसीलदार सवाई माधोपुर के न्यायालय में उक्त प्रकरण दिनांक 06.02.2019 को दर्ज किया गया है तथा दिनांक 22.02.2019 को ही बिना किसी प्रकिया की पालना किये निर्णय किया गया है। उक्त सारी प्रकिया जल्दबाजी में की गई है, जो कि नैसर्गिक न्याय

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा भी इस बिन्दु पर गौर नहीं किया गया। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होने के संबध में पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है। प्रथम अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण होने के संबध में किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की तथा न ही स्वयं के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया कि अपीलान्ट का विवादित भूमि के किस विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा है। अतिक्रमण के संबंध में न तो स्वतन्त्र गवाह से पूछताछ की गई और न ही कोई बयान ही लिये गये। अपीलान्ट को किसी तरह का जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। विवादित भूमि मौके पर खाली पड़ी है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट की खातेदारी के पास उक्त भूमि होने के कारण जल्दबाजी में तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.2019 पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 33, 34, 35, 36 व 37 के, रकबा 1.24 है0 किस्म सिवायचक भूमि ग्राम लक्ष्मीपुरा पर किसी प्रकार को कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उक्त भूमि की किस्म सिवायचक दर्ज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि विवादित भूमि किस प्रकार की सरकारी भूमि है। मात्र एक छप–छपाये प्रारूप में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं होने व पूर्व में भी कोई अतिक्रमण नहीं होने के बाबजूद अपीलान्ट को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह के सिविल कारावास व शास्ती से दण्डित कर अहम भूल की गई है। अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में कोई अतिक्रमण होने का अपीलाधीन निर्णय में उल्लेख नहीं किया है। अपीलान्ट को पूर्व में किसी भी निर्णय के तहत बेदखल किया गया हो ऐसा कोई रिकार्ड अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न नहीं है। पत्रावली में ऐसे निर्णय की प्रमाणित प्रति भी संलग्न नहीं है, जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को विवादित भूमि से कभी बेदखल किया गया हो। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं किया गया है, इसलिऐ जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय भी निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.2019 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 28.08.2019 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। जहां तक तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 23.09.2019 के गुणावगुण का प्रश्न है तो तहसीलदार सवाई माधोपुर के न्यायालय से प्राप्त हुई पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के द्वारा खसरा नंबर 33/0.20, 34/0.13, 35/0.20, 36/0.08 व 37/0.63 कुल रकबा 1.24 है0 ग्राम लक्ष्मीपुरा की भूमि पर सरसों काश्त कर अतिक्रमण किये जाने व पश्चातवर्ती

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिचारी होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा किये जाने पर अपीलान्ट को तहसीलदार सवाई माधोपुर के न्यायालय से उसका पक्ष रखे जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसमें दिनांक 22.02.2019 को उपस्थित होकर पक्ष रखे जाने की अपेक्षा की गई। उक्त नोटिस की तामील अपीलान्ट पर असालतन हुई है तथा निर्णय दिनांक को अपीलान्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर के न्यायालय में उपस्थित भी रहा है। जिसकी पुष्टि आदेशिका पर अपीलान्ट के हो रहे हस्ताक्षरों से हो रही है। तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक को पटवारी हल्का के बयान लिये गये उक्त बयान पूर्व मुद्रित प्रारूप में लिए गए हैं। जिसमें खाली स्थानों की पूर्ति की गई है। पटवारी हल्का के बयान में यह उल्लेख है कि अपीलान्ट द्वारा सम्वत 2075 में विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, परन्तु इसकी पुष्टि में पूर्व में पारित निर्णय, बेदखल किये जाने की दिनांक आदि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में दिनांक 30.01.2017 की फर्द जब्ती व नीलामी की रिपोर्ट संलग्न है, परन्तु न तो बेदखली की रिपोर्ट ही संलग्न की गई है और न ही निर्णय के पूर्व वर्ष में बेदखल किये जाने की रिपोर्ट ही पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.2019 में पटवारी हल्का द्वारा दिये गये बयान को आधार मानकर अपीलान्ट को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि यह पूर्व रिकार्ड से साबित होता है, परन्तु तहसीलदार न्यायालय की पत्रावली में इस तरह का कोई रिकार्ड संलग्न नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर लगातार पश्चातवर्ती अतिचार रहा हो। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील में भी जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2019 के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है। उक्त निर्णय में विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने यह उल्लेख किया है कि तहसीलदार की ओर से अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। पश्चातवर्ती अतिचार होने के संबंध में यह उल्लेख किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवारी हल्का के बयानों व मिसल संख्या 22/17 निर्णय दिनांक 30.01.2017 में पारित बेदखली आदेश के आधार पर हो जाती है, के आधार पर पश्चातवर्ती अतिचार की पुष्टि होती है। विद्वान जिला कलक्टर के उक्त मत से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि तहसीलदार सवाई माधोपुर के न्यायालय की अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में दिनांक 30.01.2017 को हुई फर्द जब्ती व नीलामी दिनांक की फोटोप्रति संलग्न की हुई है। पत्रावली में अपीलान्ट को पूर्व में बेदखल किये जाने की रिपोर्ट या लगातार पश्चातवर्ती अतिचारी होने की कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है। पटवारी हल्का के बयान कब लिये गये इसका भी कोई उल्लेख पत्रावली में नहीं है। उक्त बयान पूर्व मुद्रित बयान के प्रारूप में लिये गये हैं। जिसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर पूर्व में अतिक्रमण किये जाने पर कब बेदखल किया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय में पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर सिविल कारावास

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

के दण्ड से दण्डित किये जाने को उचित नही कहा जा सकता है, क्योंकि तहसीलदार सवाई माधोपुर के न्यायालय की अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में अपीलान्ट का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई पूर्व का निर्णय या बेदखली की रिपोर्ट संलग्न नहीं है। वकील अपीलान्ट की ओर से दौराने बहस यह बताया गया है कि विवादित भूमि वर्तमान में खाली है। अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। पश्चातवर्ती अतिचार साबित करने का दायित्व पटवारी हल्का का बनता है। तहसीलदार की ओर से भी निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य की जॉच किया जाना आवश्यक था। जिसका कि उक्त प्रकरण में अभाव है। चूंकि तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.2019 के क्रम में अपीलान्ट को बेदखल किये जाने व लगान की 50 गुना शास्ती आरोपित किये जाने के दण्ड की क्रियान्विती कर दी गई है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय में पारित बेदखली व शास्ती आरोपित के दण्ड में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है, परन्तु अपीलान्ट को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया है। इसे यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिचार होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई रिकार्ड या दस्तावेज अदालत मातहतों की अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में संलग्न नहीं है। केवल मात्र वर्ष 2017 में की गई फर्द जब्ती व फसल नीलामी की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न की गई है। दूसरी ओर अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होने व वर्तमान में उक्त भूमि खाली होने का बताया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 28.08.2019 व तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 में पारित 3 माह के सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में पुनः जॉच करें तथा यदि विवादित भूमि पर अभी भी यदि अपीलान्ट का अतिक्रमण हो तो नियमानुसार प्रक्रिया की पालना करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पश्चातवर्ती अतिचार पाये जाने पर पूर्व में किये गये अतिक्रमण के कारण पारित निर्णय, बेदखली रिपोर्ट आदि का रिकार्ड प्राप्त कर पटवारी हल्का के मुद्रित प्रारूप में बयान लिये जाने की बजाय विस्तृत बयान लेकर सिविल कारावास के संबंध में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर